

सेवा-सह-कला प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय और झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (झालसा) ने अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के तहत उच्च न्यायालय के व्हाइट हॉल में एकदिवसीय राज्यस्तरीय कानूनी सेवा और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया।

प्रमुख बटु

- प्रदर्शनी का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झारखंड उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितिके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया।
- राज्य वधिकि सेवा एवं प्रदर्शनी का आयोजन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन तथा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सहि के निर्देश और मार्गदर्शन में किया गया।
- न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का मुख्य फोकस समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्ग के बीच कानूनी जागरूकता पैदा करना और अधविकृताओं के पैनल के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करके समाज के इन वर्गों की सहायता करना है।
- गौरतलब है कि कोवडि महामारी के दौरान झालसा ने राज्य की राजधानी और ज़िलों में अन्य इकाइयों में एक केंद्रीय 'वॉर रूम' भी स्थापति किया था, जो संकट में फंसे लोगों की मदद करता था, मुख्य रूप से जनिहें कोवडि से संबंधति सहायता की आवश्यकता होती थी।
- झालसा के सदस्य सचवि मोहम्मद शाकरि ने कहा कि प्रदर्शनी में चतिरमय प्रतनिधितिव वाले राष्ट्रीय कानूनी सहायता के वभिन्नि हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शति किये गए। इसके साथ ही बरिसा मुंडा सेंटरल जेल, राँची, कमयुनकिशन होम, राँची, यूनसिफ, राँची, एल्डर हेल्प लाइन, चाइल्डलाइन, राँची आदिद्वारा भी स्टॉल लगाए गए।
- इस प्रदर्शनी में वभिन्नि स्टालों के माध्यम से वधिकि सेवा क्षेत्र में किये गए कार्यों की जानकारी लोगों को दी गई, साथ ही कानून की जानकारी के लयि तैयार सामग्री का वतिरण भी किया गया।